

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर
पीठासीन अधिकारी:- श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 07/2015

अनवान :-

श्री रमेशचन्द्र पारीके से.नि.जरिये श्री मुरारीलाल शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी- कार्यालय,
संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन बीकानेर, बीकानेर

प्रार्थी

-: वनाम :-

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री पूरणाराम गोदारा, निवासी दुकान नं. 1 सेक्टर 08 जेएनवी कॉलोनी, बीकानेर - विक्रेता फर्म श्री जैन दूध भण्डार, दुकान नं. 1 सेक्टर नं. 08 जेएनवी कॉलोनी, बीकानेर
2. श्री भवंरलाल पुत्र श्री चैनसिंह गहलोत निवासी मकान नं. 373 सेक्टर नं. 5 जेएनवी कॉलोनी बीकानेर - प्रो. मैसर्स श्री जैन दूध भण्डार, दुकान नं. 1 सेक्टर 08 जेएनवी कॉलोनी बीकानेर

अप्रार्थीगण

::प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 नियम 2011::

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से - श्री महमूद अली, खा.सु.अधिकारी
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से - श्री महेन्द्र प्रतापसिंह अधिवक्ता

-: निर्णय :-

दिनांक : 14.01.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री मुरारीलाल शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तत्कालीन सेवानिवृत्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रमेशचन्द्र पारीक कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन बीकानेर ने दिनांक 09.05.2014 को अप्रार्थीपक्ष श्री ओमप्रकाश पुत्र पूरणाराम - मैसर्स जैन दूध भण्डार दुकान नं. 1 सेक्टर नं. 08 जेएनवी कॉलोनी बीकानेर के यहां दुकान पर निरीक्षण दौरान एक लोहे के डिब्बे में लगभग 50 लीटर गाय का दूध वास्ते आम जनता को बिक्री हेतु रखा हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त गाय का दूध में से 2 लीटर नमूना संग्रह हेतु 60 रुपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी खा.सु.अ., विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर हैं। तदन्तर उक्त दूध को चार बराबर-बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखी एवं खाली बोतलों में डाला एवं प्रत्येक बोतल में 40-40 बूंदे फॉर्मिलिन की डालकर, इन चारों नमूना बोतलों को ढक्कन से एयर टाइट बंद किया। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर कोड एवं क्रमांक ए.बी.-396 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया तथा प्रत्येक नमूने बोतलों को नियमानुसार चपड़ी से सीलबन्द एवं मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, समझाकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये

||
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किया। उक्त सीलबन्द बोतलों में से एक सीलबन्द बोतल मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 10.06.2014 को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें गाय का दूध सबस्टेण्डर्ड का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड गाय के दूध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री महेन्द्र प्रतापसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ। इसलिए जवाब का अवसर बन्द किया गया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी पक्ष की ओर से श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि इस मामले में तत्कालीन प्रार्थी निरीक्ष ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से गाय के दूध का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जन विश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में Milk solids not fat % Min.=8.50% की तुलना में 6.22 प्रतिशत का पाया गया है, जो निर्धारित मानक से कम है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां गाय का दूध सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह भी निवेदन किया है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने बहस में कथन किया कि मैसर्स जैन दूध भण्डार के नाम से दूध का संचालन करता है। अप्रार्थी गांवों से दूध एकत्रित कर दूध का विक्रय करता है। उक्त दूध में फेट मीनिमम 3.5 प्रतिशत होना चाहिए था, जो कि रिजल्ट में 5.0 प्रतिशत आया है, जो स्टेण्डर्ड के अनुसार सही है। एम.एस.एन.एफ. का कम आने का कारण गाय को दिये जाने वाले चारे व आहार व मौसम भी हो सकता है। प्रार्थी द्वारा दूध खरीद कर बेचा जाता है। उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट व दूध में छेड़छाड़ नहीं की गई। अतः प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही को ड्राप फरमाई जावे। इसके विपरीत खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस का खण्डन करते हुवे बताया कि प्रार्थी निरीक्षक ने अप्रार्थी के यहां नियमानुसार कार्यवाही की जाकर दूध का सैम्पल लिया गया जो सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है।

५
 आति. जिन्ना कलेक्ट
 (प्रशासन), बीकानेर

5. हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है । पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिपोर्ट क्रमांक एलएस/607/एक्ट/2014/382 दिनांक 10.06.2014 संलग्न है। इस रिपोर्ट में अप्रार्थी के यहां पाया गया दूध Milk Solids not fat percentage Min.=8.5 % की तुलना में 6.22 % का पाया गया है, जो निर्धारित मानक से कम होने के कारण सबस्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड का दूध विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रुपये 20,000/- (अखरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 10-10 हजार रुपये की शास्ति राशि अदा करेगें।

6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 14.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।



(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलेक्टर(प्रशा), बीकानेर
अति. जिला कलेक्टर
(प्रशासन), बीकानेर